

न्यायालय श्रीमान् राजरव मण्डल ग्वालियर मोप्र० कैम्प कोर्ट रीवा मोप्र०

209



R-1287-III/13

C.P. 12.50/-

पूरन पिता अमिरवा चर्मकार आयु 65 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम तिखवा थाना व तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल मोप्र० अपीलाण्ट / आवेदक
बनाम

1. सौखीलाल पिता अमिरवा चर्मकार

2. देशराज पिता अमिरवा चर्मकार

दोनों निवासी ग्राम खैरा थाना व तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल

मोप्र०

रेस्पाओगण / अनावेदक

अमिरवा के नुक्काट
शहडोल विवाहित
दावा पुस्तक
रीवा दि. 7-03-13
कलक दावा कोड
मान्यवर, शहडोल मण्डल, मोप्र०

अपील / निगरानी विरुद्ध निर्णय कमिशनर

शहडोल सम्भाग शहडोल मोप्र० के

रा०प्र०क०- 148 / अपील / 2008-09 निर्णय
दिनांक 27.08.12

अपीलाण्ट / आवेदक के निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:-

1. यह कि-न्यायालय कमिशनर शहडोल सम्भाग शहडोल मोप्र० के राजस्व प्रकरण क्रमांक-148 / अपील / 08-09 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2012 विधि विरुद्ध होने से काविल निररतगी है।

2. यह कि-अमिरवा चमार जो अपीलाण्ट का पिता है जो एक मात्र सादी सोनिया से किया था। सोनिया व अमिरवा के नुक्के से पूरन, छत्रपती व कलेशरा संतान की उत्पत्ति हुई जिनमें से छत्रपती एवं कलेशरा लावल्द फौत है जिससे हल्का पटवारी के यहाँ प्रस्तुत सेजरा खानदान में अमिरवा के वारिसान मुस० सोनिया व पूरन को दर्शाया गया जो अमिरवा के बैध उत्तराधिकारी थे जिनका ग्राम तिखवा की आ०ख०न०-564 / 5 रक्खा 4.562 है। आराजी का नामान्तरण जरिये नामान्तरण पंजी क्रमांक-2 दिनांक 24/12/92 को हुआ।

3. यह कि-नामान्तरण विधिवत् इश्तहार का प्रकाशन किया गया जिस पर कोई आपत्ति न होने से नामान्तरण स्वीकार किया गया जिसके 4 वर्ष बाद प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी के रा०प्र०क०-24 / अपील / अ-6 / 96-97

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

23.01.19.

(१) - प्रकार विस्तृत | ३ मरपक्षों
की ओर से कोई उपायित
नहीं।

(२) प्रकार की अदेश पंचिका
दिनांक २०/६/१४ एवं ११/११/१९

की अवलोकन किया गया।
अमरपक्षों की अनुपायिति से
संपर्क है कि अवेदक / अनिवेदकों
की प्रकारण को घलोने में
शायद नहीं है।

(३) अन्तः प्रकारज इसी Stage ५
समाप्त किया जाता है।

Signature -

23.01.19